फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी | अप्रार्थीगण

लक्ष्मी उर्फ बालीदेवी बनाम रतनीदेवी वगैरह

किस्म प्रकरण – प्रार्थना पत्र 136 आर.एल.आर. एक्ट संख्या 02/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी के भिजवाये गये थे जिनकी पार्वती रसीदे आदिनांक तक अप्राप्त है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 मौजा रोल तहसील–जायल के खाता संख्या 636 जो सक्षम स्तर से प्रमाणित सुदा नहीं है तथा उक्त प्रपत्र (जमाबंदी) केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए होने संबंधी का नोट अंकन किया हुआ है साथ ही इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किये जाने का अंकन भी है। इसी प्रकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत केवल एक चौसाला जमाबंदी से दूसरी चौसाला जमाबंदी तैयार करते हुये सहवन से गलत अंकन होने पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है, जबकि प्रार्थना पत्र नामान्तकरण में दर्ज अंकन को दुरूस्त करने हेतु पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कवर नहीं होने तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल,जिला नागौर	

Scanned with CamScanner